न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–73/2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

सिटी युनियन बैंक लिमिटेड जिसका पंजी. कार्यालय स्थित–149 टीएसआर स्ट्रीट, कुम्बकोनम, तमिलनाडु पर स्थित है एवं शाखा प्लॉट संख्या 2, एम.आई रोड़, गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर जरिये प्राधिकृत श्री एस. मिनाक्षीसुन्दरम।

—प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स बनवारी लाल ब्रह्मानन्द कार्यालय–मकान नं. 37, दुकान नं. 01, बारह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, सीताराम मन्दिर के पास, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. पवन कुमार गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यु सांगानेर रोड़ स्वेज फार्म, श्याम नगर सोडाला जयपुर।
3. नितिषा गुप्ता पुत्री पवन कुमार गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यु सांगानेर रोड़ स्वेज फार्म, श्याम नगर सोडाला जयपुर।
4. श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी पवन कुमार गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यु सांगानेर रोड़ स्वेज फार्म, श्याम नगर सोडाला जयपुर।
5. श्रीमती सोनिया गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता निवासी–61 ओल्ड धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
6. श्री अनिल कुमार गुप्ता पत्नी बनवारी लाल गुप्ता निवासी–61 ओल्ड धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
7. श्री सोरभ गुप्ता पुत्र सोहन लाल गुप्ता निवासी–61 ओल्ड धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
8. श्रीमती विद्या देवी पत्नी बनवारी लाल गुप्ता निवासी–61 ओल्ड धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
9. श्रीमती पुष्पा देवी गुप्ता सोहन लाल गुप्ता निवासी–61 ओल्ड धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
10. नितिन गुप्ता पुत्र पवन कुमार गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यु सांगानेर रोड़ स्वेज फार्म, श्याम नगर सोडाला जयपुर।
11. मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल कार्यालय–183, न्यु धान मण्डी रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
12. मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल कार्यालय–183, न्यु धान मण्डी रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान।
13. मैसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट कार्यालय–409, दुर्गा बिजनेश सेन्टर पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के पास, एमआईरोड़, जयपुर।

—अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश **दिनांकः–29.09.2022**

प्रार्थी सिटी युनियन बैंक लिमिटेड जिसका पंजी. कार्यालय स्थित–149 टीएसआर स्ट्रीट, कुम्बकोनम, तमिलनाडु पर स्थित है एवं शाखा प्लॉट संख्या 2, एम.आई रोड़, गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर जरिये प्राधिकृत श्री एस. मिनाक्षीसुन्दरम की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदीप सिंह

उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को कुल ऋण राशि 11,28,00,000/- अखरे ग्यारह करोड़ अठाईस लाख रूपये स्वीकृत किया गया था जो मैसर्स बनवारी लाल ब्रह्मानन्द को 5,00,00,000 अखरे पांच करोड़ रूपये मात्र सीसी ऋण व रूपये 60,00,000/- अखरे साठ लाख रूपये मात्र टर्म लोन, मैसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट को रूपये 3,50,00,000/- अखरे तीन करोड़ पचास लाख रूपये मात्र टर्म लोन, श्रीमती रेणु गुप्ता को 1,10,00,000/- अखरे एक करोड़ दस लाख रूपये मात्र, श्री पवन कुमार गुप्ता को 59,00,000/- अखरे उनसठ लाख रूपये मात्र व 49,00,000/- अखरे उनचास लाख रूपये मात्र ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में सम्पत्ति संख्या 1. दुकान संख्या 119ए कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फिट, दुकान संख्या 119बी, कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफिट अनाज मण्डी हनुमानगढ़, राजस्थान पर स्थित है जो कि श्री पवन कुमार गुप्ता, अनिल कुमार, सौरभ गुप्ता, श्रीमति पुष्पा देवी के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने अथवा अदायगी में चूक करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खातों को नियमानुसार दिनांक 29.12.2020, 31.12.2020, 30.11.2020 को गैर-निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 27.04.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 11,03,05,153/- रूपये अखरे ग्यारह करोड़ तीन लाख पांच हजार एक सौ तिरेपन रूपये मात्र बकाया एवं उक्त राशि पर दिनांक 27.04.2021 से अदायगी के दिवस तक तयशुदा ब्याज दर से ब्याज की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

प्रार्थी सिटी युनियन बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पत्ति संख्या 1. दुकान संख्या 119ए कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फिट, दुकान संख्या 119बी, कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफिट अनाज मण्डी हनुमानगढ़, राजस्थान पर स्थित है जो कि श्री पवन कुमार गुप्ता, अनिल कुमार, सौरभ गुप्ता, श्रीमति पुष्पा देवी के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़